जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ / एल.पी.सी. / 16 / डी– 288 दिनांकः– 31-5-16

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **124वीं बैठक दिनांकः 26.05.16 को प्रातः 11.00 बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		124:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 123वीं बैठक दिनांक 11.03.16 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 113वीं से 123वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 123वीं बैठक दिनांक 11.03.16 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 113 से 123 की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा शेष प्रकरणों की अविलम्ब अनुपालना करने हेतु उपायुक्तों को निर्देश दिए गए। आयुक्त महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि 1 अप्रेल, 2014 से अब तक राजकीय / निजी संस्थाओं के आवंटन के संबंध में लिये गये निर्णय की अनुपालना जोनवार एक प्रारूप तैयार कर प्राप्त की जावे।
2.	1	124:2	कार्यालय अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर वृत (दक्षिण) जयपुर को मालवीय नगर योजना के भूखण्डधारियों को पेयजल व्यवस्थ में सुधार हेतु उच्च जलाशय के निर्माण हेतु मालवीय नगर योजना के भूखण्ड संख्या ए–518 से ए–520 क्षेत्रफल 543.46 व.मी. का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–1 द्वारा कार्यालय अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर वृत (दक्षिण) जयपुर को मालवीय नगर योजना के भूखण्डधारियों को पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु उच्च जलाशय के निर्माण हेतु मालवीय नगर योजना के भूखण्ड संख्या ए–518 से ए–520 क्षेत्रफल 543.46 व.मी. का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को मालवीय नगर योजना में उक्त 543.46 व. मी. भूमि योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
3.	उ.आ. (एल पीसी)	124:3	पक्षी चिकित्सालय हेतु भूमि आवंटन किया जाना है अथवा नहीं, के संबंध में निर्णय बाबत।	श्री राजेन्द्र लुहाडिया, सचिव, पक्षी चिकित्सालय ट्रस्ट द्वारा पक्षी चिकित्सालय हेतु जयपुर महानगर सीमा के अन्दर 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया है। नवीन भूमि आवंटन नीति–2015 में पशु / पक्षी चिकित्सालय हेतु भूमि आवंटन का प्रावधान नहीं है। अतः पशु / पक्षी चिकित्सालय को आवंटन किया जा सकता है अथवा नहीं, के संबंध में निर्णय लिया जाना है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर इस संबंध में राज्य सरकार से नीतिगत निर्णय हेतु मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
4.	1	124:4	मैसर्स गोलछा इन्वेस्टमेन्टस प्रा.लि. को भूखण्ड संख्या सी–6बी सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर का मूलरूप से आवंटित क्षेत्रफल से 97.69 व.ग. बढा हुआ क्षेत्रफल आवंटित करने के संबंध में।	उपायुक्त जोन–1 द्वारा मैसर्स गोलछा इन्वेस्टमेन्टस प्रा.लि. के भूखण्ड संख्या सी–6बी, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर के मूलरूप से आवंटित भूखण्ड के निकट 97.69 व. ग. भूमि उपलब्ध होने से स्ट्रिप ऑफ लैण्ड के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एजेण्डा नोट के अनुसार भूखण्ड संख्या सी–6बी के निकटवर्ती भूखण्ड संख्या बी–40 के स्वामी ने भी उक्त बढे हुये क्षेत्रफल को भूखण्ड संख्या सी–6बी के स्वामी को आवंटन करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि यह जानकारी की जावें कि उक्त क्षेत्र प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में है अथवा नगर निगम को हस्तानांतरित कर दिया गया है। यदि

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				जविप्रा क्षेत्राधिकार में है, तो पूर्ण राइट ऑफ वे उपलब्ध है या नहीं। उपायुक्त उक्त तथ्य की पुष्टि कर प्रकरण आगामी एलपीसी की बैठक में प्रस्तुत करे।
5.	1	124:5	सहायक आसूचना ब्यूरो को कार्यालय एवं आवास हेतु झालाना संस्थानिक क्षेत्र में 3979.74 व.मी. भूमि आवंटन करने बाबत।	सहायक आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा झालाना संस्थानिक क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय के पीछे लगभग 6500 वर्गमीटर भूमि कार्यालय एवं आवास हेतु चाही गई है। उपायुक्त जोन–1 द्वारा झालाना संस्थानिक क्षेत्र में हेबीटेट सेन्टर के पीछे संस्थानिक भूखण्ड संख्या पार्ट डी क्षेत्रफल 3979.74 व.मी. भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर ब्यूरो को झालाना संस्थानिक क्षेत्र में संस्थानिक भूखण्ड संख्या पार्ट डी क्षेत्रफल 3979.74 वर्गमी... भूमि योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने की अभिशंषा के साथ राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प–3(268)नविवि / 3 / 2011 दिनांक 03.07.12 के अनुसार केन्द्र सरकार के संगठनों को आवंटित की जाने वाली भूमि की दरों के निर्धारण हेतु प्रकरण संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी को दर निर्धारण हेतु मय चैक लिस्ट प्रस्ताव भिजवाने का निर्णय लिया गया।
6.	1	124:6	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि. भारत सरकार का उपक्रम को क्षेत्रीय कार्यालय भवन हेतु जयपुर में 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–1 द्वारा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि. भारत सरकार का उपक्रम को क्षेत्रीय कार्यालय भवन हेतु झालाना संस्थानिक क्षेत्र में हेबीटेट सेन्टर के पीछे संस्थानिक भूखण्ड संख्या पार्ट सी 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपक्रम को झालाना संस्थानिक क्षेत्र में संस्थानिक भूखण्ड संख्या पार्ट सी क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर भूमि योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने की अभिशंषा के साथ राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प–3(268)नविवि / 3 / 2011 दिनांक 03.07.12 के अनुसार केन्द्र सरकार के संगठनों को आवंटित की जाने वाली भूमि की दरों के निर्धारण हेतु प्रकरण संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी को दर निर्धारण हेतु मय चैक लिस्ट प्रस्ताव भिजवाने का निर्णय लिया गया।
7.	6	124:7	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को ग्राम माचडा तहसील आमेर के खसरा नं. 266 / 1091 रकबा 0.36 हैक्टयेर बीसलपुर पेयजल योजना हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–6 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को ग्राम माचडा तहसील आमेर के खसरा नं. 266 / 1091 रकबा 0.36 हैक्टयेर अर्थात् 3600 वर्गमीटर किस्म गै.मु. पहाड सिवायचक भूमि बीसलपुर पेयजल योजना हेतु भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। बैठक के दौरान उपस्थित विभाग के प्रतिनिधि (अधिशाषी अभियंता) ने बताया कि उक्त भूमि आवंटन से सीकर रोड पर ऊंचाई की ओर बसी आबादी का पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी। अतः ग्राम माचडा के खसरा नं. 266 / 1091 व खसरा नं. 2 में पृथक–पृथक भूमि आवंटन की जावे। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को ग्राम मांचडा के खसरा नं. 266 / 1091 में से 1500 वर्गमीटर भूमि योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग को जारी किये जाने वाले मांग पत्र में आवेदन शुल्क के 5000 / – रूपये भी सम्मिलित किए जावे। आवंटित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।

(25) प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

8.	6	124:8	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 4000 वर्गमीटर भूमि बीसलपुर पेयजल योजना हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–6 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को लोहामण्डी में साईन्स पार्क के उपर 100 फीट रोड के व साईड के बीच में ग्राम माचडा के खसरा नं. 2 की एक लम्बी पट्टी क्षेत्रफल 5600 वर्गमीटर भूमि बीसलपुर पेयजल योजना हेतु भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। बैठक के दौरान उपस्थित विभाग के प्रतिनिधि (अधिशाषी अभियंता) ने बताया कि उक्त भूमि आवंटन से बैनाड रोड के नीचे की ओर बसी आबादी को पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी। अतः ग्राम माचडा के खसरा नं. 266/1091 व खसरा नं. 2 में पृथक–पृथक भूमि आवंटन की जावे। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को ग्राम माचडा के खसरा नं. 2 में से 4000 वर्गमीटर भूमि योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग को जारी किये जाने वाले मांग पत्र में आवेदन शुल्क के 5000/– रूपये भी सम्मिलित किए जावे। आवंटित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
9.	6	124:9	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज. जयपुर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज. जयपुर द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु अनुमोदित योजना बालाजी विहार 25 विस्तार सीतावाली फाटक मेन रोड पर सुविधा क्षेत्र की भूमि में आवंटन चाहा गया था। उपायुक्त जोन–6 द्वारा उपरोक्त स्थान पर भूमि उपलब्ध नहीं होने से ग्राम चरण नदी के खसरा नं. 426 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा में से रिक्त भूमि 1761.54 वर्गमीटर में 600 वर्गमीटर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि भूमि अविकसित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को ग्राम चरण नदी के खसरा नं. 426 में से 600 वर्गमीटर भूमि कृषि भूमि की डीएलसी दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग को जारी किये जाने वाले मांग पत्र में आवेदन शुल्क के 5000/– रूपये भी सम्मिलित किया जावे। आवंटित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
10.	7	124:10	श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री बलवीर शर्मा को भूखण्ड संख्या–8 अमर नगर (नेशनल गृ.नि.स.स.) से लगती हुई भू–पट्टी के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–7 द्वारा श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री बलवीर शर्मा को भूखण्ड संख्या–8 अमर नगर (नेशनल गृ.नि.स.स.) के आगे 230.31 वर्गगज (192.56 वर्गमीटर) भू–पट्टी के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। एजेण्डा नोट के अनुसार अमर नगर योजना के भूखण्ड संख्या 1 से 8 तक के आगे रिक्त भूमि की पतली पट्टी है जो स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की श्रेणी में आती है, इन भूखण्डों के सामने 160' चौडी सेक्टर रोड है, जो मौके पर 160' चौडी सडक उपलब्ध है। उक्त रिक्त भूमि पर अलग से भूखण्ड सृजित नहीं किया जा सकता। अतः उक्त भू–पट्टी के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रश्नगत भू–पट्टी का क्षेत्रफल 100 वर्गगज से अधिक होने के कारण आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया।
11.	8	124:11	अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,	उपायुक्त जोन–8 द्वारा अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना वृत (शहर) जयपुर को

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			परियोजना वृत (शहर) जयपुर को जविप्रा की आवासीय योजना स्वर्ण विहार में 12299. 15 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	जविप्रा की आवासीय योजना स्वर्ण विहार में पम्प हाउस हेतु 12299.15 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। बैठक के दौरान उपस्थित विभाग के प्रतिनिधि (अधिशाषी अभियंता) ने बताया कि प्रस्तावित भूमि पर 70 लाख लीटर क्षमता का स्वच्छ जलाशय, पम्प हाउस, 33/11 केवी जीएसएस, पृथ्वीराज नगर क्षेत्र के लिए मास्टर स्टोर, स्टॉफ/ऑफिसर्स क्वार्टर, कार्यालय भवन व अन्य संरचना हेतु 13900 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को स्वर्ण विहार योजना में उपलब्ध 12299.15 वर्गमीटर भूमि योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग को जारी किये जाने वाले मांग पत्र में आवेदन शुल्क के 5000/– रूपये भी सम्मिलित किए जावे।
12.	9	124:12	ग्राम पंचायत विधानी के ग्राम चक सालगरामपुरा के खसरा नं. 107 क्षेत्रफल 10.08 है. में से 3000 व.मी. भूमि श्मशान के लिए आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा ग्राम पंचायत विधानी के ग्राम चक सालगरामपुरा के खसरा नं. 107 क्षेत्रफल 10.08 है. में से 3000 व.मी. भूमि श्मशान के लिए आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 2.9 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख–रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम चक सालगरामपुरा के खसरा नं. 107 [illegible] से 3000 व.मी. भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख–रखाव का जिम्मा ग्राम पंचायत को दिये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा। आरक्षित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
13.	9	124:13	ग्राम पंचायत विधानी के ग्राम जीरोता के खसरा नं. 737 क्षेत्रफल 5.79 है. में से 3000 व.मी. भूमि श्मशान के लिए आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा ग्राम पंचायत विधानी के ग्राम जीरोता के खसरा नं. 737 क्षेत्रफल 5.79 है. में से 3000 व.मी. भूमि श्मशान के लिए आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 2.9 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख–रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम जीरोता के खसरा नं. 737 में से 3000 व.मी. भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख–रखाव का जिम्मा ग्राम पंचायत को दिये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा। आरक्षित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से [illegible] प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
14.	9	124:14	ग्राम पंचायत विधानी के ग्राम जयसिंहपुरा बास जीरोता के खसरा नं. 323 क्षेत्रफल 5.34 है. में से 2000 व.मी. भूमि श्मशान के लिए आरक्षित करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा ग्राम पंचायत विधानी के ग्राम जयसिंहपुरा बास जीरोता के खसरा नं. 323 क्षेत्रफल 5.34 है. में से 2000 व.मी. भूमि श्मशान के लिए आरक्षित करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 2.9 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख–रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम जयसिंहपुरा बास जीरोता के खसरा नं. 323 में से

प्रा० आयुक्त (एल.पा.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				2000 व.मी. भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख–रखाव का जिम्मा ग्राम पंचायत को दिये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा। आरक्षित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
15.	10	124:15	श्रीमती लाडा देवी को भूखण्ड संख्या ए–291 योजना सुमेल के अधिक बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन एवं राशि वसूल करने के संबंध में।	श्रीमती लाडा देवी को सुमेल योजना के भूखण्ड संख्या ए–291 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त भूखण्ड कॉर्नर होने के कारण भूखण्ड का क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर बढ़ा हुआ है। उपायुक्त द्वारा उक्त बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। साथ ही अवगत कराया है कि योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर 8000/– रूपये प्रति वर्गमीटर है। प्रकरण में बढे हुये क्षेत्रफल के पेटे तत्कालीन आरक्षित दर 3100/– रू. प्रति व.मी. की दुगुनी दर व कॉर्नर चार्जेज की राशि जमा की जा चुकी है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
16.	10	124:16	पुलिस चौकी सायपुरा के लिए ग्राम आमेर तह. आमेर के खसरा नं. 8228, 8238 कुल किता 2 रकबा 0.39 हैक्टेयर भूमि के आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–10 द्वारा थानाधिकारी आमेर को पुलिस चौकी सायपुरा के लिए ग्राम आमेर तह. आमेर के खसरा नं. 8228, 8238 कुल किता 2 रकबा 0.39 हैक्टेयर भूमि के आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत क्षेत्र में पुलिस चौकी स्थापना की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये उक्त भूमि की पशु हटवाडा लगाने हेतु नगर निगम, जयपुर को जारी एन.ओ.सी. में से उक्त रकबा कम करते हुये चौकी हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि कृषि भूमि की डीएलसी दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग को जारी किये जाने वाले मांग पत्र में आवेदन शुल्क के 5000/– रूपये भी सम्मिलित किए जावे।
17.	11	124:17	श्री सूर्यकिरण मीणा पुत्र श्री रामजीलाल मीणा को अनुपम विहार आवासीय योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या ए–244 के विनिमय में भूखण्ड संख्या ए–119 या सी–222 आवंटित किये जाने बाबत।	श्री सूर्यकिरण मीणा पुत्र श्री रामजीलाल मीणा को अनुपम विहार आवासीय योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या ए–244 क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर 40 फीट चौडी रोड पर आवंटन किया गया था। उपायुक्त द्वारा पूर्व में जारी योजना मानचित्र व पुनः रि–प्लानिंग किये गये मानचित्र में भूखण्ड संख्या उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थी को भूखण्ड संख्या ए–224 के स्थान पर भूखण्ड संख्या ए–119 या सी–222 प्रत्येक 162 वर्गमीटर 12 मीटर रोड पर स्थित में से एक भूखण्ड विनिमय किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। मिति द्वारा विचार विमर्श कर समान ब्लॉक में समान माप व समान चौडाइ का रोड पर स्थित उपलब्ध नॉन कॉर्नर भूखण्ड संख्या ए–119 विनिमय करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रस्तावित भूखण्ड समान क्षेत्रफल का है एवं समान चौड़ाई पर स्थित है।
18.	12बी	124:18	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पी. एच.ई.डी. जयपुर रीजन द्वितीय जयपुर को ग्राम बैनाड में स्थित कदम्ब विहार योजना में से 800 वर्गमीटर भूमि ई.एस. आर. बनाने हेतु आवंटन करने	उपायुक्त जोन–12बी द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पी. एच.ई.डी. जयपुर रीजन द्वितीय जयपुर को ग्राम बैनाड में स्थित कदम्ब विहार योजना में से 800 वर्गमीटर भूमि ई. एस.आर. बनाने हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एजेण्डा नोट के अनुसार योजना के अनुमोदित मानचित्र में उक्त स्थल सुविधा क्षेत्र अंकित है। समिति

प्रा० आयुक्त (एल.पा.म.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			बाबत।	द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को कदम्ब विहार योजना में 800 वर्गमीटर भूमि योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग को जारी किये जाने वाले मांग पत्र में आवेदन शुल्क के 5000/— रूपये भी सम्मिलित किए जावे।
19.	12बी	124:19	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पी. एच.ई.डी. जयपुर रीजन द्वितीय जयपुर को ग्राम निवारू में स्थित बसन्त विहार योजना में से 1500 वर्गमीटर भूमि ई.एस. आर. बनाने हेतु आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन—12बी द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पी. एच.ई.डी. जयपुर रीजन द्वितीय जयपुर को ग्राम निवारू में स्थित बसन्त विहार योजना में से 1500 वर्गमीटर भूमि ई. एस.आर. बनाने हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एजेण्डा नोट के अनुसार योजना के अनुमोदित मानचित्र में उक्त स्थल पार्क/सुविधा क्षेत्र अंकित है। बैठक के दौरान उपस्थित विभाग के प्रतिनिधि (अधिशाषी अभियंता) ने बताया कि जलाशय का निर्माण निम्नतल (बेसमेन्ट) में किया जावेगा व उक्त स्थान पर एक बार जलाशय निर्माण हो जाने के बाद पार्क को पुनः निर्माण व रख—रखाव कर दिया जावेगा। साथ ही पार्क में भूमि आवंटन हेतु कॉलोनीवासियों ने भी सहमति प्रदान की है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को बसन्त विहार योजना में 1500 वर्गमीटर भूमि योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग को जारी किये जाने वाले मांग पत्र में आवेदन शुल्क के 5000/— रूपये भी सम्मिलित किए जावे।
20.	12बी	124:20	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पी. एच.ई.डी. जयपुर रीजन द्वितीय जयपुर को ग्राम लालचन्दपुरा में स्थित भगवती नगर योजना में से 1500 वर्गमीटर भूमि ई. एस.आर. बनाने हेतु आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन—12बी द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पी. एच.ई.डी. जयपुर रीजन द्वितीय जयपुर को ग्राम लालचन्दपुरा में स्थित भगवती नगर योजना में से 1500 वर्गमीटर भूमि ई.एस.आर. बनाने हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एजेण्डा नोट के अनुसार योजना के अनुमोदित मानचित्र में उक्त स्थल पार्क क्षेत्र अंकित है। बैठक के दौरान उपस्थित विभाग के प्रतिनिधि (अधिशाषी अभियंता) ने बताया कि जलाशय का निर्माण निम्नतल (बेसमेन्ट) में किया जावेगा व उक्त स्थान पर एक बार जलाशय निर्माण हो जाने के बाद पार्क को पुनः निर्माण व रख—रखाव कर दिया जावेगा। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को भगवती नगर योजना में 1500 वर्गमीटर भूमि (पार्क में भूमि आवंटन हेतु कॉलोनिवासियों/ विकास समिति की सहमति की शर्त पर) योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग को जारी किये जाने वाले मांग पत्र में आवेदन शुल्क के 5000/— रूपये भी सम्मिलित किए जावे।
21.	12बी	124:21	श्रीमति सुमित्रा देवी को आनंद लोक आवासीय योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या ए—163 क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर न्यायालय में विवाद होने के कारण भूखण्ड संख्या ए—80ए क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर विनिमय बाबत।	श्रीमति सुमित्रा देवी को आनंद लोक आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या ए—163 क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा राशि दिनांक 28.11.06 को जमा करा दी गई। परन्तु भूखण्ड न्यायालय में विवादित होने के कारण कब्जा नहीं दिया जा सका। दिनांक 29.03. 12 को ए—163 का आवंटन निरस्त करते हुये ए—98 क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर का आवंटन किया गया। जिसे दिनांक 02.05.12 को वापस withdraw किया गया। उपायुक्त द्वारा समान सडक पर स्थित भूखण्ड संख्या ए—80ए क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर के विनिमय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर

(एल.ए.सी.)
प्राधि० आयुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				समान ब्लॉक में समान माप व समान चौडाई की रोड पर स्थित उपलब्ध रिक्त नॉन कॉर्नर भूखण्ड संख्या ए–80ए विनिमय करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रस्तावित भूखण्ड समान क्षेत्रफल के है एवं समान चौड़ाई पर स्थित है।
22.	12बी	124:22	श्री राहुल चन्द्रोदय, श्री सुनील खण्डेलवाल, श्री अशोक कुमार एवं श्री जगमोहन मीणा को निजी खातेदारी की आवासीय योजना मंगलम विहार ए, बी, सी के भूखण्ड संख्या सी–123, सी–190, सी–191, सी–256 के स्थान पर नवीन भूखण्ड व एलआईजी श्रेणी से अधिक बढे हुये क्षेत्रफल का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12बी द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि निजी खातेदारी की आवासीय योजना मंगलम विहार ए, बी, सी के भूखण्ड संख्या सी–123, सी–190, सी–191, सी–256 क्षेत्रफल क्रमशः 88.32 वर्गमीटर, 89.18 वर्गमीटर, 89.18 वर्गमीटर तथा 84.53 वर्गमीटर का आवंटन लॉटरी द्वारा श्री राहुल चन्द्रोदय, श्री सुनील खण्डेलवाल, श्री अशोक कुमार एवं श्री जगमोहन मीणा को किया गया था। उक्त भूखण्डों पर अतिक्रमण होने से आवंटियों को कब्जा नहीं दिया जा सका। विकासकर्ता द्वारा उपरोक्त भूखण्डों के बदल भूखण्ड संख्या सी–124 से सी–127 क्षेत्रफल क्रमशः 94.07 वर्गमीटर, 93.29 वर्गमीटर, 92.51 वर्गमीटर तथा 101.79 वर्गमीटर के भूखण्डों का कब्जा पत्र जारी कर भूखण्ड बदलने का आग्रह किया है। लेकिन नव प्रस्तावित उक्त भूखण्डों का क्षेत्रफल एलआईजी श्रेणी से अधिक है। अतः उपायुक्त द्वारा पूर्व भूखण्डों के स्थान पर नवीन भूखण्ड विनिमय हेतु व अधिक क्षेत्रफल का नियमन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकरणों में आवेदक के स्तर पर कोई त्रुटि नहीं हुई है। लॉटरी द्वारा आवंटित भूखण्ड मौके पर उपलब्ध नहीं है व विकासकर्ता द्वारा विनिमय हेतु प्रस्तावित भूखण्डों का क्षेत्रफल पूर्व भूखण्डों व एलआईजी श्रेणी की निर्धारित माप से अधिक है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या सी–123, सी–190, सी–191, सी–256 के स्थान पर सी–124 से सी–127 का विनिमय जरिये लॉटरी किया जावे। तथा बढे हुये क्षेत्रफल को एल.आई.जी. श्रेणी की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन किया जावे।
23.	12बी	124:23	ग्राम रोजदा में स्थित जविप्रा की मूर्तिकला विहार योजना में से 1000 वर्गमीटर भूमि 33/11 केवी जीएसएस बनाने हेतु आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–12बी द्वारा जविप्रा की ग्राम रोजदा में स्थित जविप्रा की मूर्तिकला विहार योजना में से 1000 वर्गमीटर भूमि 33/11 केवी जीएसएस बनाने हेतु आवंटन के लिए एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण एलपीसी से संबंधित नहीं है। पी.डब्ल्यू.सी की बैठक में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराई जावे।
24.	13	124:24	श्री रामफूल पुत्र छोटू को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या बी–209 क्षेत्रफल 195 से बढ़कर 236 वर्गमीटर हो जाने के कारण विनिमय में समान क्षेत्रफल का भूखण्ड दिये जाने बाबत।	श्री रामफूल पुत्र छोटू को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या बी–209 क्षेत्रफल 195 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। मौके की रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल 38.50 वर्गमीटर बढ गया है। जिसे एलपीसी की 119वीं बैठक में आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। लेकिन प्रार्थी द्वारा राशि जमा नहीं कराकर समान क्षेत्रफल का अन्य भूखण्ड आवंटन करने का निवेदन किया है। अतः उपायुक्त द्वारा भूखण्ड संख्या बी–209 के स्थान पर मौका अनुसार समान सड़क एवं समान क्षेत्रफल के रिक्त भूखण्ड संख्या ए–1/130, ए–1/132 से ए–1/143 प्रत्येक क्षेत्रफल 195 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड के विनिमय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या बी–209 के स्थान पर मौका अनुसार समान सड़क एवं समान क्षेत्रफल के रिक्त भूखण्ड संख्या ए–1/130, ए–1/132 से ए–1/143 प्रत्येक क्षेत्रफल 195 वर्गमीटर में

[illegible]
(एल.पा.सा.)
अति० आयुक्त (एल.पा.सा.) जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण,

				से एक नॉन कॉर्नर भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय किये जाने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रस्तावित भूखण्ड समान क्षेत्रफल के है एवं समान चौड़ाई पर स्थित है।
25.	13	124:25	श्री ओमप्रकाश लोहिया को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए–4/370 क्षेत्रफल 210 वर्गमीटर से बढ जाने के कारण विनिमय में समान क्षेत्रफल का भूखण्ड दिये जाने बाबत।	श्री ओमप्रकाश लोहिया को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए–4/370 क्षेत्रफल 210 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। मौके की रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल 44 वर्गमीटर बढ गया है। जिसे एलपीसी की 121वीं बैठक में आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। लेकिन प्रार्थी द्वारा राशि जमा नहीं कराकर समान क्षेत्रफल का अन्य भूखण्ड आवंटन करने का निवेदन किया है। अतः उपायुक्त द्वारा भूखण्ड संख्या ए–4/370 के स्थान पर समान सड़क एवं समान क्षेत्रफल के रिक्त भूखण्ड संख्या ए–3/12बी, ए–3/12सी, ए–3/12डी, ए–3/12ई, ए–3/12एफ में से एक भूखण्ड के विनिमय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या ए–4/370 के स्थान पर समान सड़क एवं समान क्षेत्रफल के रिक्त भूखण्ड संख्या ए–3/12बी, ए–3/12सी, ए–3/12डी, ए–3/12ई, ए–3/12एफ में से एक नॉन कॉर्नर भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय किये जाने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रस्तावित भूखण्ड समान क्षेत्रफल के है एवं समान चौड़ाई पर स्थित है।
26.	14	124:26	ग्राम खेतापुरा व ग्राम श्यामपुरा बुहारिया के श्मशान घाट की भूमि रिंग रोड परियोजना के निर्माण क्षेत्र में आने के कारण वार्ड पच एवं ग्रामवासियों के प्रार्थना पत्र के आधार पर इसकी एवज में श्मशान हेतु ग्राम खेतापुरा तह. सांगानेर में रिंग रोड परियोजना में आरक्षित भूमि 2302.68 वर्गमीटर का आरक्षित करने बाबत।	एलपीसी की 119वीं बैठक दिनांक 11.09.15 में सरपंच, ग्राम पंचायत मोहनपुरा को ग्राम खेतापुरा व ग्राम श्यामपुरा बुहारिया के श्मशान घाट की भूमि रिंग रोड परियोजना के निर्माण क्षेत्र में आने के कारण वार्ड पंच एवं ग्रामवासियों के प्रार्थना पत्र के आधार पर इसकी एवज में श्मशान हेतु ग्राम खेतापुरा तह. सांगानेर में रिंग रोड परियोजना में आरक्षित भूमि 2302.68 वर्गमीटर का आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया था। सरपंच, ग्राम पंचायत मोहनपुरा द्वारा राशि जमा नहीं कराई जाकर पत्र दिनांक 29.04.16 से नवीन आवंटन नीति–2015 के अनुसार भूमि आरक्षित करने की मांग की है। अतः उपायुक्त द्वारा उक्तानुसार पुनः एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर रिंग रोड परियोजना में आरक्षित भूमि 2302.68 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख–रखाव का जिम्मा ग्राम पंचायत को दिये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा।
27.	14	124:27	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जयपुर जिला वृत) को ग्राम तीतरिया तह. चाकसू में सृजित जविप्रा की योजना अभिनव विहार विस्तार के सुविधा क्षेत्र में से 5158.59 व. मी. भूमि 33/11 केवी उपकेन्द्र हेतु आवंटित किये जाने बाबत।	एलपीसी की 75वीं बैठक दिनांक 23.03.11 में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जयपुर जिला वृत) को ग्राम तितरिया तह. चाकसू के खसरा नं. 3019 में से 0.50 हैक्टयेर भूमि 33/11 केवी उपकेन्द्र हेतु आवंटन की गई थी। विभाग द्वारा उक्त भूमि की मांग राशि जमा कराई जा चुकी है। किन्तु वर्ष 2014 में उक्त खसरे को शामिल करते हुये ग्राम तितरिया में अभिनव विहार विस्तार योजना सृजित की गई, जिसके अनुमोदित मानचित्र अनुसार आवंटित भूमि योजना के सुविधा क्षेत्र 5158.59 वर्गमीटर भूमि में आरक्षित की गई है। उपायुक्त द्वारा पूर्व में आवंटित 5000 वर्गमीटर के अतिरिक्त 158.59 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि उक्त 158.59 वर्गमीटर भूमि का कोई पृथक उपयोग

प्रति० ग्रामुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				किया जाना संभव नहीं है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर अतिरिक्त 158.59 वर्गमीटर भूमि योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
28.	14	124:28	सरपंच, ग्राम पंचायत चित्तौडा पंचायत समिति फागी, जयपुर को ग्राम श्रीराजपुरा तहसील फागी के खसरा नं. 31/1 रकबा 104.09 बीघा किस्म चरागाह में से 3000 व.मी. भूमि श्मशान हेतु आरक्षित करने बाबत।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत चित्तौडा पंचायत समिति फागी, जयपुर को ग्राम श्रीराजपुरा तहसील फागी के खसरा नं. 31/1 रकबा 104.09 बीघा किस्म चरागाह में से 3000 व.मी. भूमि श्मशान हेतु आरक्षित करने एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि जविप्रा की आवासीय योजना रोहिणी एनक्लेव की 60 मीटर रोड पर स्थित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम श्रीराजपुरा तहसील फागी के खसरा नं. 31/1 में से 3000 व.मी. भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख–रखाव का जिम्मा ग्राम पंचायत को दिये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा।
29.	14	124:29	वाटिका रोड पर रोड की चौडाई बढने के कारण रोड में आ रहे 33/11 केवी सब स्टेशन को अन्यत्र शिफ्ट किये जाने हेतु 1000 व.मी. भूमि सचिवालय नगर सीतापुरा में आरक्षित करने बाबत।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा वाटिका रोड पर रोड की चौडाई बढने के कारण रोड में आ रहे 33/11 केवी सब स्टेशन को अन्यत्र शिफ्ट किये जाने हेतु 1000 व.मी. भूमि सचिवालय नगर सीतापुरा में आरक्षित करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर अधिशाषी अभियंता (विद्युत–I), जविप्रा, जयपुर हेतु सचिवालय नगर, सीतापुरा में 1000 वर्गमीटर भूमि 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।
30.	14ए	124:30	सरपंच, ग्राम पंचायत बल्लुपुरा, पंचायत समिति चाकसू को नवसृजित ग्राम पंचायत बल्लुपुरा तहसील चाकसू के पंचायत भवन निर्माण हेतु ग्राम डाहर तहसील चाकसू के खसरा नं. 665 रकबा 7.53 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से 1.25 हैक्टेयर भूमि आवंटन/आरक्षित करने बाबत।	उपायुक्त जोन–14ए द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत बल्लुपुरा, पंचायत समिति चाकसू को नवसृजित ग्राम पंचायत बल्लुपुरा तहसील चाकसू के पंचायत भवन निर्माण हेतु ग्राम डाहर तहसील चाकसू के खसरा नं. 665 रकबा 7.53 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से 1.25 हैक्टेयर भूमि आवंटन/आरक्षित करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नवीन आवंटन नीति में उक्त प्रयोजन हेतु भूमि का मापदण्ड निर्धारित नहीं है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम डाहर तहसील चाकसू के खसरा नं. 665 रकबा 7.53 हैक्टेयर में से 1000 वर्गमीटर भूमि ग्राम पंचायत बल्लुपुरा के भवन निर्माण हेतु कृषि भूमि की डीएलसी दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। आवंटित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
31	14ए	124:31	जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना सालिगरामपुरा में भूखण्ड संख्या बी–105 में बढे हुये क्षेत्रफल का आवंटन, आवंटन दर व प्रकरण में न्यायिक वाद में अपील/नो–अपील का निर्णय बाबत।	उपायुक्त जोन–14ए द्वारा श्री अशोक कुमार कटारिया को जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना सालिगरामपुरा में भूखण्ड संख्या बी–105 क्षेत्रफल 128 वर्गमीटर के बढे हुये क्षेत्रफल 62.40 वर्गमीटर के आवंटन, आवंटन व प्रकरण में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर करने या नहीं करने, के संबंध में एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। आवंटी द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल की राशि आरक्षित दर मय ब्याज पूर्व में जमा करा दी गई है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण में एस.एल.पी. दायर करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य उपभोक्ता आयोग व राष्ट्रीय उपभोग आयोग के निर्णय की पालना की जावे।

अति० आयुक्त (एल.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण,

32.	15	124:32	श्री विनेश सिंघवी पुत्र श्री विजय सिंघवी एवं श्रीमती रूचि सिंघवी पत्नी श्री विनेश सिंघवी को निजी खातेदारी योजना शुभांगन (पी.जी.एफ.) के भूखण्ड संख्या 11 क्षेत्रफल 195.25 वर्गमीटर की लीजडीड के संबंध में।	उपायुक्त जोन–15 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि श्री विनेश सिंघवी पुत्र श्री विजय सिंघवी एवं श्रीमती रूचि सिंघवी पत्नी श्री विनेश सिंघवी द्वारा निजी खातेदारी योजना शुभांगन (पी.जी.एफ.) के भूखण्ड संख्या 11 क्षेत्रफल 195.25 वर्गमीटर की लीजडीड हेतु आवेदन किया है। उक्त भूखण्ड का मौका अनुसार क्षेत्रफल 194.70 वर्गमीटर है तथा अनुमोदित मानचित्र अनुसार क्षेत्रफल 165 वर्गमीटर है। अतः प्रकरण में क्षेत्रफल अनुमोदित क्षेत्र से 29.70 वर्गमीटर बढ़ रहा है। अतः बढे हुये क्षेत्रफल का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 (स्ट्रिप ऑफ लैण्ड) के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या 11 में बढे हुये क्षेत्रफल 29.70 वर्गमीटर को योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
33.	15	124:33	श्रीमती जूही गुप्ता पत्नी श्री अभिनव गोयल को निजी खातेदारी योजना शुभांगन (पी.जी.एफ.) के भूखण्ड संख्या 13 क्षेत्रफल 195.25 वर्गमीटर की लीजडीड के संबंध में।	उपायुक्त जोन–15 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि श्रीमती जूही गुप्ता पत्नी श्री अभिनव गोयल द्वारा निजी खातेदारी योजना शुभांगन (पी.जी.एफ.) के भूखण्ड संख्या 13 क्षेत्रफल 195.25 वर्गमीटर की लीजडीड हेतु आवेदन किया है। उक्त भूखण्ड का मौका अनुसार क्षेत्रफल 195.80 वर्गमीटर है तथा अनुमोदित मानचित्र अनुसार क्षेत्रफल 165 वर्गमीटर है। अतः प्रकरण में क्षेत्रफल अनुमोदित क्षेत्र से 30.8 वर्गमीटर बढ़ रहा है। अतः बढे हुये क्षेत्रफल का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 (स्ट्रिप ऑफ लैण्ड) के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या 13 में बढे हुये क्षेत्रफल 30.8 वर्गमीटर को योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
34.	15	124:34	श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा को निजी खातेदारी योजना शुभांगन (पी.जी.एफ.) के भूखण्ड संख्या 12 क्षेत्रफल 195.25 वर्गमीटर की लीजडीड के संबंध में।	उपायुक्त जोन–15 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा द्वारा निजी खातेदारी योजना शुभांगन (पी.जी.एफ.) के भूखण्ड संख्या 12 क्षेत्रफल 195.25 वर्गमीटर की लीजडीड हेतु आवेदन किया है। उक्त भूखण्ड का मौका अनुसार क्षेत्रफल 195.25 वर्गमीटर है तथा अनुमोदित मानचित्र अनुसार क्षेत्रफल 165 वर्गमीटर है। अतः प्रकरण में क्षेत्रफल अनुमोदित क्षेत्र से 30.25 वर्गमीटर बढ़ रहा है। अतः बढे हुये क्षेत्रफल का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 (स्ट्रिप ऑफ लैण्ड) के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या 12 में बढे हुये क्षेत्रफल 30.25 वर्गमीटर को योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
35.	15	124:35	श्री अभिनव गोयल पुत्र श्री शिवराम दास गुप्ता को निजी खातेदारी योजना शुभांगन (पी.जी.एफ.) के भूखण्ड संख्या 14 क्षेत्रफल 195.25 वर्गमीटर की लीजडीड के संबंध में।	उपायुक्त जोन–15 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि श्री अभिनव गोयल पुत्र श्री शिवराम दास गुप्ता द्वारा निजी खातेदारी योजना शुभांगन (पी.जी.एफ.) के भूखण्ड संख्या 14 क्षेत्रफल 195.25 वर्गमीटर की लीजडीड हेतु आवेदन किया है। उक्त भूखण्ड का मौका अनुसार क्षेत्रफल 196.35 वर्गमीटर है तथा अनुमोदित मानचित्र अनुसार क्षेत्रफल 165 वर्गमीटर है। अतः प्रकरण में क्षेत्रफल अनुमोदित क्षेत्र से 31.35 वर्गमीटर बढ़ रहा है। अतः बढे हुये क्षेत्रफल का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत

प्रांत० आयुक्त (एल.पा.सा.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 (स्ट्रिप ऑफ लैण्ड) के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या 14 में बढे हुये क्षेत्रफल 31.35 वर्गमीटर को योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
36.	15	124:36	श्रीमती शोबना पत्नी श्री ऋषि कुमार पोरवाल को निजी खातेदारी योजना शुभांगन (पी.जी.एफ.) के भूखण्ड संख्या 04 क्षेत्रफल 186.45 वर्गमीटर की लीजडीड के संबंध में।	उपायुक्त जोन–15 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि श्रीमती शोबना पत्नी श्री ऋषि कुमार पोरवाल द्वारा निजी खातेदारी योजना शुभांगन (पी.जी.एफ.) के भूखण्ड संख्या 04 क्षेत्रफल 186.45 वर्गमीटर की लीजडीड हेतु आवेदन किया है। उक्त भूखण्ड का मौका अनुसार क्षेत्रफल 185.90 वर्गमीटर है तथा अनुमोदित मानचित्र अनुसार क्षेत्रफल 165 वर्गमीटर है। अतः प्रकरण में क्षेत्रफल अनुमोदित क्षेत्र से 20.90 वर्गमीटर बढ़ रहा है। अतः बढे हुये क्षेत्रफल का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 (स्ट्रिप ऑफ लैण्ड) के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या 4 में बढे हुये क्षेत्रफल 20.90 वर्गमीटर को योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
37.	16	124:37	अधिशाषी अभियंता परियोजना खण्ड द्वितीय (उत्तर), जन स्वा. अभि. वि. को जविप्रा की योजना गोकुल नगर में सुविधा क्षेत्र एफ–4 के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–16 द्वारा अधिशाषी अभियंता परियोजना खण्ड द्वितीय (उत्तर), जन स्वा. अभि. वि. को जविप्रा की योजना गोकुल नगर में सुविधा क्षेत्र एफ–4 क्षेत्रफल 5872.04 वर्गमीटर भूमि पम्प हाउस हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। बैठक के दौरान उपस्थित विभाग के प्रतिनिधि (अधिशाषी अभियंता) ने बताया कि प्रस्तावित योजना में 110 लाख लीटर क्षमता का स्वच्छ जलाशय, पम्प हाउस, पृथ्वीराज नगर क्षेत्र के लिए स्टोर, स्टॉफ/ऑफिसर्स क्वार्टर, कार्यालय भवन व अन्य संरचना हेतु 6000 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को गोकुल नगर योजना में उपलब्ध सुविधा क्षेत्र एफ–4 क्षेत्रफल 5872.04 वर्गमीटर भूमि योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग को जारी किये जाने वाले मांग पत्र में आवेदन शुल्क के 5000/– रूपये भी सम्मिलित किए जावे।
38.	16	124:38	अधिशाषी अभियंता परियोजना खण्ड द्वितीय (उत्तर), जन स्वा. अभि. वि. को जविप्रा की योजना गोकुल नगर में सुविधा क्षेत्र एफ–5 के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–16 द्वारा अधिशाषी अभियंता परियोजना खण्ड द्वितीय (उत्तर), जन स्वा. अभि. वि. को जविप्रा की योजना गोकुल नगर में सुविधा क्षेत्र एफ–5 क्षेत्रफल 2524.62 वर्गमीटर भूमि ईएसआर. हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। बैठक के दौरान उपस्थित विभाग के प्रतिनिधि (अधिशाषी अभियंता) ने बताया कि प्रस्तावित योजना में उच्च जलाशय व 33/11 केवी जीएसएस हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को गोकुल नगर योजना में उपलब्ध सुविधा क्षेत्र एफ–5 क्षेत्रफल 2524.62 वर्गमीटर में से 2000 वर्गमीटर भूमि योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग को जारी किये जाने वाले मांग पत्र में आवेदन शुल्क के 5000/– रूपये भी सम्मिलित किए जावे।

अति० आयुक्त (एल.पा.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

39.	17	124:39	अधिशाषी अभियंता परियोजना खण्ड द्वितीय (उत्तर), जन स्वा. अभि. वि. को जविप्रा की योजना अयोध्या नगर में सुविधा क्षेत्र के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–17 द्वारा अधिशाषी अभियंता परियोजना खण्ड द्वितीय (उत्तर), जन स्वा. अभि. वि. को जविप्रा की योजना अयोध्या नगर में सुविधा क्षेत्र/पार्क की भूमि 2179 वर्गमीटर में से 1500 वर्गमीटर भूमि ई.एस.आर. हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। बैठक के दौरान उपस्थित विभाग के प्रतिनिधि (अधिशाषी अभियंता) ने बताया कि जलाशय का निर्माण निम्नतल (बेसमेन्ट) में किया जावेगा व उक्त स्थान पर एक बार जलाशय निर्माण हो जाने के बाद पार्क को पुनः निर्माण व रख–रखाव कर दिया जावेगा। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को अयोध्या नगर योजना में 1500 वर्गमीटर भूमि (पार्क में भूमि में से आवंटन हेतु कॉलोनिवासियों/विकास समिति की सहमति की शर्त पर) योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग को जारी किये जाने वाले मांग पत्र में आवेदन शुल्क के 5000/– रूपये भी सम्मिलित किए जावे।
40.	18	124:40	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रीजन–द्वितीय, जयपुर को शिव विहार योजना में पार्क की 6756.69 वर्गमीटर भूमि का आवंटन करने बाबत।	एलपीसी की 113वीं बैठक दिनांक 15.01.15 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को शिव विहार योजना के भूखण्ड संख्या एफ–2 क्षेत्रफल 1018.93 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वा. अभि. वि. रीजन–द्वितीय, जयपुर द्वारा उक्त भूमि के स्थान पर शिव विहार योजना में 10000 वर्गमीटर भूमि आई.पी.एस./पम्प हाउस/सी.डब्ल्यू.आर./ई.एस.आर. हेतु आवंटन करने का अनुरोध किया है। अतः उपायुक्त जोन–18 द्वारा शिव विहार योजना के पार्क की 6756.69 वर्गमीटर भूमि के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। बैठक के दौरान उपस्थित विभाग के प्रतिनिधि (अधिशाषी अभियंता) ने बताया कि स्वच्छ जलाशय व अन्य संरचना का निर्माण निम्नतल (बेसमेन्ट) में, भू–तल पर केवल स्टॉफ क्वार्टर का निर्माण व अधिकतम संभव क्षेत्र पार्क हेतु रखा जाकर पार्क को पुनः निर्माण व रख–रखाव कर दिया जावेगा। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को शिव विहार योजना में पार्क की 6756.69 वर्गमीटर भूमि (पार्क में भूमि आवंटन हेतु कॉलोनिवासियों/विकास समिति की सहमति की शर्त पर) योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग को जारी किये जाने वाले मांग पत्र में आवेदन शुल्क के 5000/– रूपये भी सम्मिलित किए जावे।
41.	1	124:41	श्री कैलाश क्रान्तिकारी, अध्यक्ष परमीच्यूअल माइनर गुरू स्वामी श्री धासीराम जी उर्फ दिगम्बर जैन मुनि 108 श्री गुणकीर्ति जी महाराज को ग्राम भवानीशंकर पुरा, तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 77 की 12 बीघा भूमि में से 1 भूमि आवंटित करने के संबंध में।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण के पुनः परीक्षण हेतु उपायुक्त को निर्देशित किया गया।
42.	5	124:42	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को ग्राम देवरी के	उपायुक्त जोन–5 द्वारा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को ग्राम देवरी के खसरा नं. 193/591 में स्थित जविप्रा की पंचवटी योजना

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण,

			खसरा नं. 193/391 में स्थित जविप्रा की पंचवटी योजना में 800 वर्गगज भूमि को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवंटन करने बाबत।	में 800 वर्गगज भूमि को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को पंचवटी योजना में 800 वर्गगज भूमि योजना की संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग को जारी किये जाने वाले मांग पत्र में आवेदन शुल्क के 5000/– रूपये भी सम्मिलित किए जावे।
43.	5	124:43	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को ग्राम सोडाला के खसरा नं. 11, 11/121, 11/128, 128 से 11/154 में जविप्रा की येाजना स्वेज फार्म में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आरक्षित 1200 वर्गमीटर भूमि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–5 द्वारा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को ग्राम सोडाला के खसरा नं. 11, 11/121, 11/128, 128 से 11/154 में जविप्रा की योजना स्वेज फार्म में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आरक्षित 1200 वर्गमीटर भूमि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को स्वेज फॉर्म योजना में 1200 वर्गमीटर भूमि योजना की संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग को जारी किये जाने वाले मांग पत्र में आवेदन शुल्क के 5000/– रूपये भी सम्मिलित किए जावे।
44.	12वीं	124:44	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम को ग्राम नींदड तहसील आमेर के खसरा नं. 2043 रकबा 0.34 हैक्टेयर में से 600 वर्गमीटर भूमि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हेतु आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–12वीं द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम को ग्राम नींदड तहसील आमेर के खसरा नं. 2043 रकबा 0.34 हैक्टेयर में से 600 वर्गमीटर भूमि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निमाण हेतु आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को ग्राम नींदड तहसील आमेर के खसरा नं. 2043 में से 600 वर्गमीटर भूमि कृषि भूमि की डीएलसी दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग को जारी किये जाने वाले मांग पत्र में आवेदन शुल्क के 5000/– रूपये भी सम्मिलित किए जावे।
45.	1	124:45	वैष्णों देवी सेवा समिति, पंचवटी सर्किल, राजापार्क, जयपुर को श्री वैष्णों देवी माता मंदिर पंचवटी सर्किल विधिवत् पुर्नस्थापना हेतु माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय राजापार्क के लगती हुई कॉर्नर की 300 वर्गमीटर भूमि का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–1 द्वारा वैष्णों देवी सेवा समिति, पंचवटी सर्किल, राजापार्क, जयपुर को श्री वैष्णों देवी माता मंदिर पंचवटी सर्किल विधिवत् पुर्नस्थापना हेतु माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय राजापार्क के लगती हुई कॉर्नर की 300 वर्गमीटर भूमि का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। वैष्णों देवी सेवा समिति का रजिस्ट्रेशन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत दिनांक 28.08.2015 को हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.06.15 में राजापार्क क्षेत्र में स्थित पंचवटी सर्किल पर स्थित श्री वैष्णों देवी माता मंदिर को सड़क के मध्य में स्थित होने के कारण हटाने के निर्देश दिये है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एस.एल.पी. संख्या 22759/2015 में पारित निर्णय दिनांक 12.08.15 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.06.15 की क्रियान्विति को स्थगित किया है। वैष्णों देवी सेवा समिति, पंचवटी सर्किल, राजापार्क, जयपुर द्वारा उक्त मंदिर को शिफ्ट करने हेतु 300 वर्गमीटर भूमि राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल, राजापार्क में आवंटन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है व समिति के अध्यक्ष द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि आवंटित की जाने वाली जमीन पर मंदिर निर्माण कर वर्तमान मंदिर को तुडवाकर खाली भूमि का कब्जा जविप्रा को सुपुर्द कर

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				दिया जावेगा व सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन अपील को वापस ले लिया जावेगा। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि माननीय न्यायालय के निर्देशों व व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुये समिति को राजकीय विद्यालय का पूर्वी दिशा में स्थित सिद्धेश्वरी मार्ग पर स्थित 300 वर्गमीटर भूमि योजना की संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन किया जा सकता है। वैष्णों देवी सेवा समिति, पंचवटी सर्किल, राजापार्क, जयपुर के रजिस्ट्रेशन को तीन वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं होने व धार्मिक स्थल के आवंटन का उद्देश्य आवंटन नीति में स्पष्ट न होने के कारण प्रकरण आवंटन की अभिशंषा सहित राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में प्रस्तुत निम्नांकित टेबल एजण्डा पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–				
46.	13	124:45(1)	अधीक्षण अभियंता (जयपुर जिला वृत), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. को ग्राम चिताणुकलां में ग्राम पंचायत हेतु विद्युत वितरण योजना में स्वीकृत 33/11 केवी निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–13 द्वारा अधीक्षण अभियंता (जयपुर जिला वृत), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. को ग्राम चिताणुकलां तहसील आमेर के खसरा नं. 1181 कुल क्षेत्रफल 13.54 हैक्टेयर में से 0.15 हैक्टेयर भूमि ग्राम पंचायत हेतु विद्युत वितरण योजना में स्वीकृत 33/11 केवी निर्माण हेतु भूमि आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। विभाग से नवीन आवंटन नीति के अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग द्वारा आवेदन पत्र मय 5000 रूपये के डी.डी. प्रस्तुत करने की शर्त पर ग्राम चिताणुकलां तहसील आमेर के खसरा नं. 1181 कुल क्षेत्रफल 13.54 हैक्टेयर में से 0.15 हैक्टेयर भूमि 33/11 केवी निर्माण हेतु कृषि भूमि की डीएलसी दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। आवंटित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
47.	13	124:45(2)	पशुपालन विभाग को जविप्रा की एकान्त विहार फार्म हाऊस योजना में आरक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 7805.00 वर्गमीटर में से बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय हेतु 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2015–16 की बजट घोषणा संख्या 88 के अनुसार जयपुर मुख्यालय पर पशुपालन विभाग के पांच बत्ती स्थित बहुउद्देश्यीय पशुचिकित्सालय को बाहरी क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जाना है। पशुपालन विभाग द्वारा इस कार्य हेतु चौंमू रोड पर एकान्त विहार योजना में 7805 वर्गमीटर, ग्राम नटाटा, कालवाड, मानपुर टीलावाला में प्रत्येक स्थान पर 8000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। इस संबंध में माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 25.05.16 को आयोजित बैठक में प्रत्येक स्थान पर 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु निर्देशित किया। अतः उपायुक्त जोन–13 द्वारा जविप्रा की एकान्त विहार फार्म हाऊस योजना में आरक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 7805.00 वर्गमीटर में से बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय हेतु 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर पशुपालन विभाग को एकान्त विहार फॉर्म हाऊस योजना में आरक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 7805 वर्गमीटर में से 5000 वर्गमीटर भूमि योजना की संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग को जारी किये जाने वाले मांग पत्र में आवेदन शुल्क के 5000/– रूपये भी सम्मिलित किए जावे।

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी) जयपुर विकास प्राधिकरण,

				आवंटित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
48.	13ए	124:45(3)	पशुपालन विभाग को जविप्रा स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 87 (पुराना) नया 99 रकबा 16.65 हैक्टेयर जोकि राजस्व ग्राम नटाटा तहसील जमवारामगढ में स्थित है में से 5000 वर्गमीटर भूमि बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय हेतु आवंटन करने बाबत।	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2015–16 की बजट घोषणा संख्या 88 के अनुसार जयपुर मुख्यालय पर पशुपालन विभाग के पांच बत्ती स्थित बहुउद्देश्यीय पशुचिकित्सालय को बाहरी क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जाना है। पशुपालन विभाग द्वारा इस कार्य हेतु चौमू रोड पर एकान्त विहार योजना में 7805 वर्गमीटर, ग्राम नटाटा, कालवाड, मानपुर टीलावाला में प्रत्येक स्थान पर 8000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। इस संबंध में माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 25.05.16 को आयोजित बैठक में प्रत्येक स्थान पर 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु निर्देशित किया। अतः उपायुक्त जोन–13ए द्वारा ग्राम नटाटा तहसील जमवारामगढ के खसरा नम्बर 87 (पुराना) नया 99 रकबा 16.65 हैक्टेयर में से 5000 वर्गमीटर भूमि बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर पशुपालन विभाग को ग्राम नटाटा के खसरा नं. 99 में से 5000 वर्गमीटर भूमि कृषि भूमि की डीएलसी दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग को जारी किये जाने वाले मांग पत्र में आवेदन शुल्क के 5000/– रूपये भी सम्मिलित किए जावे। आवंटित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
49.	14	124:45(4)	पशुपालन विभाग को ग्राम मानपुर टीलावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 455 कुल रकबा 11.11 हैक्टेयर में से 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2015–16 की बजट घोषणा संख्या 88 के अनुसार जयपुर मुख्यालय पर पशुपालन विभाग के पांच बत्ती स्थित बहुउद्देश्यीय पशुचिकित्सालय को बाहरी क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जाना है। पशुपालन विभाग द्वारा इस कार्य हेतु चौमू रोड पर एकान्त विहार योजना में 7805 वर्गमीटर, ग्राम नटाटा, कालवाड, मानपुर टीलावाला में प्रत्येक स्थान पर 8000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। इस संबंध में माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 25.05.16 को आयोजित बैठक में प्रत्येक स्थान पर 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु निर्देशित किया। अतः उपायुक्त जोन–14 द्वारा ग्राम मानपुर टीलावाला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 455 रकबा 11.11 हैक्टेयर में से 5000 वर्गमीटर भूमि बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर पशुपालन विभाग को ग्राम मानपुर टीलावाला के खसरा नं. 455 में से 5000 वर्गमीटर भूमि कृषि भूमि की डीएलसी दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग को जारी किये जाने वाले मांग पत्र में आवेदन शुल्क के 5000/– रूपये भी सम्मिलित किए जावे। आवंटित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
50.	12बी	124:45(5)	पशुपालन विभाग को ग्राम कालवाड तहसील जयपुर के खसरा नं. 168/2 रकबा 43	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2015–16 की बजट घोषणा संख्या 88 के अनुसार जयपुर मुख्यालय पर पशुपालन विभाग के पांच बत्ती स्थित बहुउद्देश्यीय

प्रति० आयुक्त (एल.पा.मा)
नगर विकास प्राधिकरण,

			बीघा 16 बिस्वा में से 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।	पशुचिकित्सालय को बाहरी क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जाना है। पशुपालन विभाग द्वारा इस कार्य हेतु चौंमू रोड पर एकान्त विहार योजना में 7805 वर्गमीटर, ग्राम नटाटा, कालवाड, मानपुर टीलावाला में प्रत्येक स्थान पर 8000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। इस संबंध में माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 25.05.16 को आयोजित बैठक में प्रत्येक स्थान पर 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु निर्देशित किया। अतः उपायुक्त जोन–12बी द्वारा ग्राम कालवाड तहसील जयपुर के खसरा नं. 168/2 रकबा 43 बीघा 16 बिस्वा में से 5000 वर्गमीटर भूमि बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर पशुपालन विभाग को ग्राम कालवाड के खसरा नं. 168/2 में से 5000 वर्गमीटर भूमि कृषि भूमि की डीएलसी दर 1 20 प्रतिशत (बाहरी विकास को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग को जारी किये जाने वाले मांग पत्र में आवेदन शुल्क के 5000/– रूपये भी सम्मिलित किए जावे। आवंटित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव एवं अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिद, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त/अभियांत्रिकी–द्वितीय/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एव समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर
15. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
16. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10ए, 11, 12, 12ए, 12बी, 13, 13ए, 14, 14ए, 15 से 19
17. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
18. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
19. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव एवं अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 124वीं बैठक दिनांक 26.05.16 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य
3	श्री देवराज सिंह, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री ललित शर्मा, निदेशक (अभियांत्रिकी–द्वितीय)	सदस्य
5.	श्रीमति रश्मि गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्री बृजेश किशोर शर्मा, विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.)	विशेष आमंत्रित
7.	श्री विष्णु कुमार गोयल, उपायुक्त जोन–1	विशेष आमंत्रित
8.	श्री नवल किशोर बैरवा, उपायुक्त जोन–2	विशेष आमंत्रित
9.	श्रीमती सीमा कुमार, उपायुक्त जोन–5	विशेष आमंत्रित
10.	श्री असलम शेर खान, उपायुक्त जोन–6	विशेष आमंत्रित
11.	श्री मधुसूदन पालीवाल, उपायुक्त जोन–7 व 9	विशेष आमंत्रित
12.	श्री भागीरथ हावा, उपायुक्त जोन–8	विशेष आमंत्रित
13.	श्रीमती विनिता सिंह, उपायुक्त जोन–12ए व 12बी	विशेष आमंत्रित
14.	डॉ. प्रवीण कुमार, उपायुक्त जोन–13 व 13ए	विशेष आमंत्रित
15.	श्री रामलाल गुर्जर, उपायुक्त जोन–14	विशेष आमंत्रित
16.	श्री बीरबल सिंह शेखावत, उपायुक्त जोन–16 व 17	विशेष आमंत्रित
17.	श्री सुभाष महरिया, उपायुक्त जोन–18	विशेष आमंत्रित
18	श्रीमती उषा जैन, विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित
19.	श्री सुरेश माथुर, अधिशाषी अभियंता, जन स्वा. अभि. विभाग	विशेष आमंत्रित
20.	श्री अनिल कुमार गोयल, सहायक अभियंता, जन स्वा. अभि. विभाग	विशेष आमंत्रित
21.	श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड, सहायक अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	विशेष आमंत्रित
22.	डॉ. राशि गुप्ता, सलाहकार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–प्रथम	विशेष आमंत्रित
23.	श्री किरण मांथ, सलाहकार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–द्वितीय	विशेष आमंत्रित